राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या :–03 / 2023
अपील संख्या :–5037 / 2022

जितेन्द्र शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलाका उमरेण, जिला अलवर।
5. श्रीमती रूचि गुप्ता, वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हमीरपुर, बानसूर, अलवर एवं स्थानान्तरणाधीन आलोच्य आदेश द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालेका उमरेण, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.01.2023

<u>उपस्थित</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अधिकरण ने अपील संख्या 5037 / 2022 में दिनांक 18.11.2022 को निम्न आदेश पारित किया था –

> *''अपीलार्थी दिनांक 03.10.2018 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलाका (उमरेण) अलवर में कार्यरत है अर्थात् उसे एक ही स्थान पर लगभग चार वर्ष का समय व्यतीत होने के पश्चात ही आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण किया गया है। राजकीय सेवा में पति–पत्नी दोनों के सेवारत होने पर यथासंभव एक स्थान पर रखे जाने की नीति है, न कि अनिवार्यता है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के अपीलार्थी के स्थान पर लगाये जाने से सम्बन्धित आदेश की प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसलिए इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का अपीलार्थी के स्थान पर समंजन किया गया है। स्थानान्तरण राज्य सेवा का अभिन्न अंग है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। उक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील के सारहीन व बलहीन होने के कारण, खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।''*

2. प्रार्थी–अपीलार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्ततु किया है कि आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का

स्थानान्तरण/समायोजन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, तलछेरा, भरतपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हमीरपुर, बानसूर, अलवर में किया गया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हमीरपुर, बानसूर अलवर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलाका उमरेण, अलवर में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। अपीलार्थी का तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ पहुंचाने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।

3. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 में सारभूत तथ्यों का अभाव था इसलिये सारभूत तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रार्थी अपीलार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 को पुनरावलोकन किया जाकर उक्त आदेश को रिकॉल किया जाकर, अपील को पुनः नम्बर पर लेकर पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं अपील को पुनः सुनवाई हेतु गुण अवगुण पर आदेश प्रदान करें।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में बहस सुनी, जिसमें उन्होंने अपने अभिवचनों की पुनरावृत्ति की।

5. यह सुस्थापित विधि है कि पुनरावलोकन की शक्ति किसी न्यायालय/अधिकरण में स्वतः निहित नहीं होती है। ऐसी शक्ति विधि के द्वारा विशेषतः प्रदत्त की जानी चाहिए। राजस्थान सिविल सेवाएँ (सेवा मामलों की अपीलीय अधिकरण) अधिनियम,1976 की धारा–6(5) के द्वारा अधिकरण की पुनर्विलोकन की शक्ति के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान किया गया है –

> ***Section 6 (5) :*** *"The Tribunal may, on its own motion or on the application of any party interested, review its own decision or order and pass in reference thereto such order as it thinks just and proper.*
>
> *Provided that the tribunal shall not review its own decision or order unless it is satisfied that there has been discovery of new and important fact of evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by such party at the time when such decision or order was made, or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record."*

6. उपर्युक्त प्रावधान से यह प्रकट है कि अधिकरण को पुनर्विलोकन की सीमित शक्तियाँ ही प्राप्त हैं। पुनर्विलोकन से तात्पर्य किसी ऐसी त्रुटि को ठीक करने से

होता है जो कि अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो। यह श्रृंखलाबद्ध निर्णयों में अवधारित किया गया है कि पुनर्विलोकन की शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी पूर्वोक्त प्रकार की गलती को सुधारा तो जा सकता है, किन्तु एक ही प्रकरण को दूसरी बार निर्णीत नहीं किया जा सकता है। एक गलत निर्णय में और मुखाग्म पर दृष्टव्य गलती में भिन्नता होती है। गलत निर्णयों के विरूद्ध उच्चतर फोरम में पक्षकारों को अपील करनी चाहिए, जबकि किसी त्रुटि का पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुधार किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नॉर्दन इंडियन कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ऑफ देहली में निम्न प्रकार अवनिर्धारित किया है :–

> *"It is well settled that a party is not entitled to seek a review of a judgment .... merely for the purpose of a rehearing and a fresh decision of the case."*

Kerala State Electricity Board V. Hitech Elecxtronics & Hydrogen Ltd. नामक प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"The appreciation of evidence on record is fully within the domain ot the appellate court. If on appreciation of the evidence produced, the court records a finding of fact and reaches a conclusion, that conclusion cannot be assailed in a review petition unless it is shown that there is an error apparent on the face of the record or for some reason akin thereto. To permit the review petitioner to argue on a question of appreciation of evidence would amount to converting a review petition into an appeal in disguise."*

7. उपर्युक्त विवेचन से यह प्रकट है कि अधिकरण नए तथ्यों को पाये जाने पर ही अथवा अभिलेख को देखने से ही प्रकट त्रुटि को ही ठीक कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अधिकरण ने गुणावगुण के आधार पर निर्णय देते हुए अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 18.11.2022 को आदेश पारित कर अपील को खारिज करने का आदेश दिया है। प्रार्थी–अपीलार्थी ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे यह प्रकट हो कि उन्होंने कोई नए तथ्य को खोज कर अधिकरण के समक्ष रखा हो, न ही अभिलेख को देखने से कोई त्रुटि प्रकट हो रही है। ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक 18.11.2022 का पुनर्विलोकन करने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन निरस्तनीय है, अतः निरस्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)

R